संख्या ए-1-464/दस-04-10(55)/2000 272 (3)

संलग्नक-4

मनजीत सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1567
3-0 NOV 2004

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 04 नवम्बर 2004

विषय : टेण्डर प्रकिया एवं कय में पारदर्शिता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000, दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 (ख) (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

"निर्माण कार्यों के कान्ट्रेक्ट तथा सामग्री की खरीद आदि के सम्बन्ध में कय अनुबन्ध किये जाने हेतु प्राप्त टेण्डरों के निविदादाताओं से बातचीत (निगोशिएशन) सामान्यतः न की जाय। किन्तु टेण्डर समिति /स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पूर्व अनुभव तथा प्रचलित बाजार मूल्यों को देखते हुए यदि प्राप्त निविदाओं में से न्यूनतम निविदा की दर पर अन्तिमरूप से निर्णय किये जाने के पूर्व बातचीत किया जाना अनिवार्य हो तो निविदा की पूर्व अधिसूचित किसी भी शर्त को बिना शिथिल किये केवल ऐसे निविदादाता से बातचीत(निगोशिएशन) की जा सकेगी जिसकी दर न्यूनतम हो।"

2- उक्त शासनादेश दिनांक 27 अप्रैल, 2001 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
सचिव

संख्या ए-1-464(1)/दस-04-10(55)/2000, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद, सचिवालय, उ0 प्र0।
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय,, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(आर0के0 वर्मा)
विशेष सचिव।